भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3500
(जिसका उत्तर सोमवार, 8 अगस्त, 2022/17 श्रावण, 1944 (शक) को दिया जाना है)

"जी.एस.टी. स्लैब में बदलाव"

3500. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) स्लैब में हाल में हुए बदलाव का ब्यौरा क्या है;
(ख) आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर जी.एस.टी. लगाने के पीछे क्या कारण हैं; और
(ग) केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सहित, राज्यों को जी.एस.टी. की देय बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) : वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होने वाली जीएसटी दरें/दर स्लैब को जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो एक संवैधानिक निकाय है और जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मौजूदा जीएसटी दर स्लैब में बदलाव के लिए जीएसटी परिषद की ओर से फिलहाल कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(ख) : जीएसटी परिषद ने 28 जून, 2022 को चंडीगढ़ में आयोजित अपनी 47वीं बैठक में सिफारिश की है कि ब्रांड नाम वाले कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर जीएसटी लगाने के बजाय, जीएसटी पहले से पैक और लेबल वाले सामानों पर लागू होना चाहिए। यह तीन स्तरीय प्रक्रिया के आधार पर किया गया था जिसमें सदस्य राज्यों के अधिकारियों की फिटमेंट कमेटी, इसके बाद परिषद द्वारा गठित दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) शामिल थे, और अंत में जीएसटी परिषद द्वारा सिफारिश की गई थी। ऐसे ब्रांडेड सामानों के कुछ निर्माता, प्रतिष्ठित ब्रांडों सहित, पहले के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे थे और यह दावा करके जीएसटी का भुगतान करने से बचते थे कि उन्होंने ऐसे ब्रांड नाम के संबंध में लागू करने योग्य अधिकार को स्वेच्छा से त्याग दिया हैं । जीओएम द्वारा इस तरह के टैक्स लीकेज की रोकथाम के उपाय के रूप में ब्रांड नाम वाले कुछ विशिष्ट सामानों से प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले सामानों पर जीएसटी लगाने के दृष्टिकोण में बदलाव की सिफारिश की गई हैं ।

(ग) : जीएसटी के कार्यान्वयन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान के भुगतान के उद्देश्य से जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017, की धारा 8 के तहत चुनिंदा वस्तुओं पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है । यह एक गैर-व्यपगत निधि में स्थानांतरित किया जाता है जिसे जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि के रूप में जाना जाता है, जो अधिनियम की धारा 10(1) में प्रदान किए गए अनुसार पब्लिक अकाउंट ऑफ़ इंडिया का हिस्सा है। राज्यों को मुआवजे की सभी रिलीज केवल उक्त अधिनियम की धारा 10(2) के अनुसार क्षतिपूर्ति निधि से की जाती है, न कि कंसोलिडेटेड फण्ड ऑफ़ इंडिया से। जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण केंद्र

ने बैक टू बैक ऋण से राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए उधार लेकर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1.59 लाख करोड़ रुपये जारी किया। इसके अलावा, भारत सरकार ने 31 मई, 2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 86,912 करोड़ रुपये जारी किया है। मई, 2022 तक देय संपूर्ण अस्थायी रूप से स्वीकार्य जीएसटी क्षतिपूर्ति को क्लियर कर दिया हैं। पश्चिम बंगाल राज्य को उनके हिस्से के रूप में 6591 करोड़ रुपये मिला हैं । यह निर्णय राज्यों को अपने संसाधनों के प्रबंधन में सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनके कार्यक्रम विशेष रूप से पूंजी पर व्यय सफलतापूर्वक किया जा सकें। यह निर्णय इस तथ्य के बावजूद लिया गया है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में केवल 25,000 करोड़ रुपये उपलब्ध थे। शेष लगभग 62,000 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से जारी किए गए थे, उपकर के लंबित संग्रह में । अब, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केवल जून, 2022 महीने का जीएसटी क्षतिपूर्ति लंबित है।

*****